संख्या-57/2018/2520 ई-2/तेरह-2018-97/2016

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 25 जुलाई,2018

विषय:- जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1202/जि0आ0अधि0/बार-अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 22 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 11-6-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-70/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/श्री सुनील अरोड़ा/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुनील अरोड़ा, पार्टनर, मॉ इण्टरप्राइजेज अण्डर द नेम आफ सिल्वर स्पून, 6-ए, जीत पैलेस, सप्रू मार्ग, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में जिला बार समिति द्वारा पार्किंग एवं निकास हेतु एक अतिरिक्त द्वार की व्यवस्था के संदर्भ में लगाई गई शर्त की पूर्ति होने तथा रेस्टोरोन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाय।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-57/2018/2520(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-70/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/श्री सुनील अरोड़ा/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।